UPSI180035662024

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट, महमूदाबाद-सीतापुर।

परिवाद संख्या-1628/ 2025

छोटेलाल वर्मा बनाम राजीव कुमार तिवारी।

धारा-138एन०आई० ऐक्ट।

थाना-महमूदाबाद, जनपद सीतापुर।

दिनांक-10.02.2026

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली आज वास्ते सुनवाई नियत है। परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को तलबी के बिन्दु पर सुना गया।

परिवादी छोटेलाल वर्मा की ओर से विपक्षी राजीव कुमार तिवारी के विरूद्ध संस्थित परिवाद-पत्र का सारांश इस प्रकार है कि, "विपक्षी ने परिवादी से अपनी पत्नी के इलाज हेतु दिनांक-17.01.2024 को रु० 25,000/- नकद लिया था जिसे विपक्षी ने वापस नहीं किया। परिवादी के बार-बार कहने पर परिवादी को विपक्षी ने दिनांक-21.05.2024 को आई.सी.आई.सी.आई. बैंक शाखा अलीगंज, लखनऊ की चेक संख्या-399514 रु० 25,000/- दिया। परिवादी ने उक्त चेक को भारतीय स्टेट बैंक शाखा महमूदाबाद, जनपद सीतापुर बचत खाता संख्या-11774505635 में भुगतान हेतु दिनांक-20.08.2024 को दिया जो दिनांक-24.09.2024 को अनादरित होकर पर्याप्त धन न होने के कारण परिवादी को वापस हो गयी। उक्त के संबंध में जब परिवादी ने विपक्षी को बताया तो उसने अभद्र भाषा में बात किया और कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं दिया। तब परिवादी ने विपक्षी को पंजीकृत डाक के माध्यम से नोटिस दिनांकित-01.10.2024 को प्रेषित किया किन्तु विपक्षी ने न तो नोटिस का जवाब दिया और न ही धन देना सुनिश्चित किया। अतः विपक्षी को तलब कर चेक में वर्णित धनराशि की दो गुनी धनराशि दिलाने व उसे कारागार की सजा से दण्डित किये जाने की याचना की गयी है।"

परिवादी द्वारा अपने कथन के समर्थन में दस्तावेजी सूची सबूत से एक किता मूल चेक (चेक सं०-399514 रु० 25,000/- दिनांकित-21.05.2024, एक किता वैधानिक नोटिस की प्रति दिनांकित-01.10.2024, एक किता रजिस्टर्ड डाक रसीद दिनांकित-01.10.2024, एक किता रिटर्न मेमो दिनांकित-24.09.2024, एक किता भारतीय डाक द्वारा जारी ट्रैक कॉससाइनमेन्ट की प्रति दिनांकित-01.10.2024, एक किता प्रोफॉर्मा एवं एक किता परिवादी आधार कार्ड की छायाप्रति दाखिल की गयी है।

परिवादी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में स्वयं का साक्ष्य शपथ-पत्र अन्तर्गत धारा-223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रस्तुत किया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर विपक्षी/ अभियुक्त राजीव कुमार तिवारी के विरूद्ध प्रथम दृष्टया धारा-138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अन्तर्गत आपराधिक मामला बनता प्रतीत होता है। तदनुसार उक्त विपक्षी/ अभियुक्त को धारा-138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अन्तर्गत तलब किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

Digitally signed by ROHIT PURI
Date: 2026.02.10 17:22:42 IST
Reason: Document Owner
Location: Civil Judge (J.D)/J.M.
Mahmoodabad, Sitapur.

<u>आदेश</u>

प्रथम दृष्टया अपराध के विचारण हेतु विपक्षी/अभियुक्त राजीव कुमार तिवारी को अन्तर्गत धारा-138परक्राम्य लिखत अधिनियम के अन्तर्गत जरिये सम्मन तलब किया जाता है। परिवादी अन्दर सप्ताह पैरवी करे। बाद पैरवी अभियुक्त को सम्मन जारी हो। पत्रावली दिनांक-12.03.2026 को पेश हो।

दिनांकः10.02.2026

(रोहित पुरी)
सिविल जज (जू०डि०)/
न्यायिक मजिस्ट्रेट, महमूदाबाद,
सीतापुर।
J.O.Code-UP3474

विजय मौर्य
(स्टेनो)